न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 108/2024

1. दुर्गा पत्नी धर्माराम ग्वाला जाति जाट
   निवासी ग्वालों का बास, भोपालगढ
   तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
2. कालीदेवी पत्नी रामपाल जाति नायक
   निवासी ग्राम सोयला, तहसील बावडी
   जिला जोधपुर
3. चन्दादेवी पत्नी घेवरराम जाति मेघवाल
   निवासी ग्राम उस्तरा, तहसील भोपालगढ
   जिला जोधपुर
4. कुन्दनमल पुत्र रामपालराम जाति नायक
   निवासी ग्राम सोयला, तहसील बावडी
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार बावडी,
जिला जोधपुर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बावडी दिनांक 08 मई 2019 आदेश कमांक राज/549

उपस्थित–
श्री राजेन्द्र जाखड, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
रेस्पो. की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 12 सित., 2024

अपीलाण्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08 मई 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। साथ ही एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश करने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बावडी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 के तहत एक प्रार्थनापत्र ग्राम सोयला स्थित आराजी खसरा संख्या 605 के संबंध में प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 मई 2019 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि–

- ग्राम सोयला स्थित आराजी खसरा संख्या 605/11 रकबा 2 बीघा भूमि अपीलाण्ट संख्या 2 काली देवी के नाम दर्ज थी, जिसमें से 2500 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ एवं 500 वर्गमीटर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होकर खसरा संख्यचा 605/18 रकबा 2500 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ एवं खसरा संख्या 605/19 रकबा 500 वर्गमीटर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रेस्पो. संख्या 2 काली के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद हुई।
- इसी प्रकार खसरा संख्या 605/20 रकबा 1बीघा भूमि अपीलाण्ट संख्या 3 चन्दादेवी के नाम दर्ज थी, जो सम्पूर्ण रकबा एक बीघा अर्थात 1618.74 वर्गमीटर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित होकर अपीलाण्ट संख्या तीन के नाम दर्ज की गयी।
- खसरा संख्या 605/14 रकबा 19 बिस्वा अपीलाण्ट कुन्दनमल के नाम दर्ज थी, जो सम्पूर्ण भूमि अर्थात 1537.803 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित होकर कुन्दनमल के नाम दर्ज हुई।
- कालान्तर में उक्त अपीलाण्ट संख्या 2 से 4 ने अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि का अपीलाण्ट दुर्गादेवी के पक्ष में बेचान कर दिया, तब से उक्त भूमि खसरा संख्या 605/11, 605/20 व 605/14 अपीलाण्ट संख्या एक के मालिकाना हक एवं कब्जे काश्त की भूमि है।
- उक्त खसरान की भूमि अलग–अलग संपरिवर्तित होकर बट्टा नम्बर अंकित हुए और तरमीम हुई है, मौके पर उक्त भूमि सामलाती नहीं है। अपीलाण्ट उक्त भूमि से हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया।
- अपीलाण्ट दुर्गादेवी अपनी क्रयसुदा भूमि बाबत म्युटेशन की कार्यवाही हेतु पटवारी हळका से सम्पर्क किया, तो पटवारी हळका द्वारा बताये जाने बाबत अपीलाधीन आदेश बाबत भान हुआ और तब विचारण न्यायालय के नकलें आदि प्राप्त कर जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी गयी हैं

अतः अपील मियादशुमार की जाकर स्वीकार की जावे और अपीलाण्ट्स को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजियात बाबत जमाबंदी सेग्रीगेशन के समय हुई अभिलेखीय त्रुटियों के परिमार्जन हेतु पटवारी हळका की रिपोर्ट एवं संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की अनुशंसा व प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः है। अतः अपील अपीलाण्ट्स मियाद बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 में वर्णित तथ्यों एवं इस संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स की बहस पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी का अपीलाण्ट्स को आवण्टन होने के समय से आदिनांक तक यह भूमि अपीलाण्ट्स के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और मौके पर अपीलाण्ट्स का भौतिक कब्जा भी है, इसके उपरान्त भी अपीलाण्ट्स को हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं किये गये विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 मई 2019 एवं उसके अनुसरण में की गयी कार्यवाही को अपास्त किया जाता है। वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व रिकार्ड में अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 मई 2019 के पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर